उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F74921 सी-१/एन/एन.ओ.सी./६५८/२०१० | 10 दिनांक 25-10-10

सेवा में,

मे0 जे पी इन्फ्राटेक लि., ।जे पी ग्रीन।
सेक्टर-१२८, १२९, १३१, १३३, १३४, नोएडा

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक.................... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

   (क) स्थल : सेक्टर-१२८, १२९, १३१, १३३, १३४, नोएडा

   (ख) उत्पादन : आवासीय व्यवसायिक परियोजना
   । चिकित्सालय आदि सहित ।

Jaypee Infratech Limited

(ग) मुख्य कच्चे माल :

बिल्डिंग मैटेरियल्स

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :

शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईधन :

डीजल- डी.जी.सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

Jaypee Infratech Limited

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......३९ एम०एल०डी०...... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......३१०१२०२०१०...... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७० मै० जे० पी० इन्फ्राटेक लि०, ।जेपीग्रीन्स। सेक्टर-१२८,१२९,१३१,१३३,१३४, नोएडा द्वारा द्वारा प्रस्तावित आवासीय, शैक्षिक, वाणिज्यिक, हास्पिटल, होटल आदि का निर्माण प्रस्तावानुसार किया जावें।

८० संस्था प्रस्तावानुसार ३९एम०एल०डी० के एसटीपी का निर्माण करें एवं एक माह में एसटीपी के डिजाईन डिटेल प्रेषित करें।

९० संस्था शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१० सालिडा वेस्ट मैनेजमेंट प्रस्तावानुसार किया जावें।

११० समस्त प्रस्तावित डीजीसेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जावें।

१२० संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करें।

१३० संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४० संस्था द्वारा प्रस्तावित अस्पताल से जनित बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु सामुहिक व्यवस्था से सदस्यता प्राप्त करे एवं बोर्ड को सूचित करें।

१५० संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार/स्टेट इनवायरमेन्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरिअेन्स प्राप्त किया जावें।

१६० संस्था को यह एन०ओ०सी० जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम, १९८४ प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१७० संस्था संवेदनशील शर्तो । संलग्नक-१ । पर १५ दिन में रू०-दस लाख की बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में प्रस्तुत करें। १५ दिन में बैंक गारण्टी प्राप्त न होने की दशा में उद्योग को निर्गत एन०ओ०सी० निरस्त कर दी जा सकती है।

Jaypee Infratech Limited

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..
गौतमबुद्धनगर

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..
नोएडा

4. ....
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– एक)

Jaypee Infratech Limited